ग्राम पंचायत जैहमत, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.22 से 31.03.23
भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जैहमत, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के लेखों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री कमल कृष्ण	01-04-22 से लगातार

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री मोहिंदर सिंह	01-04-22 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जैहमत के लेखों अवधि 1-04-2022 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.10
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	20.84

3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.94
4	6(ख)	विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली	0.02
5	09(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.88
6	09(ख)	स्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.02

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 **(क) वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत जैहमत, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06-04-2024 से 11-04-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	04/22	01/23

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत जैहमत, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की

राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-213 दिनांक 12.04.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वित्तीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत जैहमत द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) **स्व: स्रोत व 5वां वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत जैहमत के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की स्व: स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति(₹)	योग(₹)	व्यय(₹)	अन्तिम शेष(₹)
2022-23	189910.36	439000	628910.36	360672	268238.36

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत जैहमत के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	78545.73	1903326	1981871.73	1617463	364408.73

(iii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत जैहमत के अवधि 01.04.22 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1173283.2	1431843	2605126.2	885853	1719273.2

बैंक का नाम	खाता संख्या	प्रयोजन	बैंक शेष
HP State Cooperative Bank Baldwada	30210100002	Sabha Fund & 5th state & others	632647.09
HP State Cooperative Bank	30210113386	14th FC	0

Baldwada			
HP State Cooperative Bank Baldwada	30210114503	15TH FC	1728773.20
		Total	**2361420.29**

बैंक समाधान विवरणी :-	
स्व: स्रोत :-	
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	268238.36
अनुदान एवं 15 वाँ वित्त आयोग:-	
दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष	2083681.93
स्व: स्रोत,अनुदान एवं 15 वाँ वित्त आयोग की रोकड़ बहियों में अंत शेष	2351920.29
दिनांक 31.03.23 को बैंक खातों में अन्तिम शेष	2361420.29
अन्तर की राशि	**9500**

(iii) एमजी नरेगा

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	0	5162440	5162440	5162440	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.10 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं

बैंक के अन्तिम शेष में **₹9500** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

5. **(क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-**

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत जैहमत के लेखों की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु 3 बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था। इस बारे सचिव, ग्राम पंचायत जैहमत को अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-199 दिनांक 06.04.2024 के द्वारा कारण स्पष्ट करने के लिए अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में ग्राम पंचायत सचिव ने खाता "क" व खाता "ख" अलग अलग से संचालित करने को कहा। अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹20.84 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव, ग्राम पंचायत जैहमत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹20,83,681.93 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii),4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है। अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना:-

ग्राम पंचायत जैहमत द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.94 लाख की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹93780** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की वसूली न करना:-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत जैहमत द्वारा अवधि 01.04.21 से 31.03.2023 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹1400 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**रजिस्टर पृष्ठ संख्या**	**रसीद संख्या**	**आवेदनकर्ता का नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण की तिथि**	**भुगतान योग्य राशि (₹)**	**प्राप्त राशि (₹)**	**अन्तर की राशि (₹)**
1	अंकित नहीं	54572	अनीता सुपुत्री श्री देश राज	01.03.2022	27.04.2022	400	200	200
2	अंकित नहीं	nill	रेखा सुपुत्री श्री रमेश चंद	17.05.2022	16.06.2022	200	शून्य	200
3	अंकित नहीं	nill	अश्वनी कुमार सुपुत्र श्री	08.07.2022	27.07.2022	200	शून्य	200

			प्रकाश चंद					
4	अंकित नहीं	nill	राजीव कुमार सुपुत्र श्री रजिन्दर कुमार	13.06.2022	15.08.2022	400	शून्य	400
5	अंकित नहीं	nill	दिनेश कुमार सुपुत्र श्री जगदीश चंद	25.03.2022	15.08.2022	400	शून्य	400
								1400

सचिव, ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-201 दिनांक 08.04.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । अत: परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

7 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी । इस योजना के अंतगर्त विभिन्न अप्लिकेशन है जिनमे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है । ग्राम पंचायत जैहमत, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया था । जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल फर्नीचर फिटिंग ही दर्ज की गयी थी तथा उनमे भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे । इसके

अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, अलमारी, LCD, Bed इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 25 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2023) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई अप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है की पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त अप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियो को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जो की गम्भीर अनियमितता है। उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-203 दिनांक 09.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जैहमत के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा रष्ट्रिय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. (क) वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹09.52 लाख कम व सामान पर राशि ₹09.52 लाख ज्यादा व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹20.65 लाख की जगह ₹30.17 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹09.52 लाख ज्यादा व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹30.97 लाख की जगह ₹21.45 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹09.52 लाख कम किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय (₹)	मजदूरी पर व्यय (₹)	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%) (₹)	सामान पर व्यय (₹)	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%) (₹)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2022-23	51.62	21.45	30.97	30.17	20.65
कुल आय	**51.62**	**21.45**	**30.97**	**30.17**	**20.65**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-211 दिनांक 10.04.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत जैहमत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा । अतः वितीय वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि **₹** 09.52 ज्यादा व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि **₹** 09.52 लाख कम व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

(ख) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी का वित्तरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य सम्बन्धी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है। पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओ की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत जैहमत, विकास खण्ड गोपालपुर जिला मंडी(हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया की ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23

के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजगार माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजगार प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	337	79	258	657	327	327	10277	7	170223

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वित्तरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमें से केवल आंशिक कार्य ही पूरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वित्तरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन के प्रति गम्भीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी. /2024-210 दिनांक 10.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जैहमत के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वियन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जोबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य किर्यान्वित किये जाएँगे तथा भविष्य में जोबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

9. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.88 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹88206.51 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-206 दिनांक 09.04.24 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जैहमत के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) स्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.02 लाख की वसूली न करना:-

सचिव ग्राम पंचायत जैहमत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 1338.75 की स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (छ)** में सलग्न किया गया है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-207 दिनांक 09.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम

पंचायत जैहमत के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ग) VKVNY के मस्ट्रोल की गणना में त्रुटि होने के कारण ₹ 691 का अधिक भुगतान :-

ग्राम पंचायत जैहमत विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी (हि० प्र ०) की अवधि 01-04-22 से 31-03-23 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि के मस्ट्रोल की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार मस्ट्रोल के कुल दिनों के जोड़ों में त्रुटि के कारण **₹691** की मजदूरी का अधिक भुगतान किया गया था जो कि नियमानुसार वित्तीय अनियमितता है। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**बिल व मस्ट्रोल संख्या/दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**मद का नाम**	**मात्रा**	**भुगतान राशि**	**वास्तविक भुगतान**	**अंतर**
1	047142/27.07.22	निर्माण लिंक रोड ग्राम कुंड नाला से उप्पर जैहमत (VKVNY)	मजदूरी भुगतान	7 person	33465	32774	691
						कुल योग	**691**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः DK/MANDI/SAD/2024-205 दिनाँक 09.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जैहमत के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अधिक अदायगी की वसूली करके राज्य के मनरेगा खाते में जमा कर दिया जाएगा व भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। अतः परामर्श दिया जाता है कि अधिक भुगतान की गयी राशि की उचित स्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(घ) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.60 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹60446.57 की निर्माण से सम्बन्धित

सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके सम्बन्ध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	**बिल संख्या/दिनांक**	**शीर्ष**	**आपूर्तिकर्ता**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि (₹)**
1	6580/28.12.22	planning head	mahavir enterprises baldwara tehsil baldwara distt mandi	pvc pipe	35196.57
2	6681/09.01.23	14वां वित्त आयोग	mahavir enterprises baldwara tehsil baldwara distt mandi	angle & pipe	25250
					60446.57

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-207(1) दिनांक 09.04.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत जैहमत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था । परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र. स.	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**सन्दर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।	--	103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
9	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
12	बिल रजिस्टर	13	48
13	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. प्रत्यक्ष सत्यापनः-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इस बारे में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में भी आपत्ति दर्शाई गयी थी परन्तु पंचायत द्वारा इस पर कोई कार्यवाई नहीं की गयी थी। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. लघु आपति विवरणिकाः-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. निष्कर्षः-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(हस्ताक्षर) 01.7.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति

3050-3054 01 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 35/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत जैहमत, विकास खण्ड गोपालपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर) 01.7.24
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति

परिशिष्ट-"क" पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण
1	पैरा-5	अनिर्णीत
2	पैरा-6	अनिर्णीत
3	पैरा-7	अनिर्णीत
4	पैरा-8	अनिर्णीत
5	पैरा-9	अनिर्णीत
6	पैरा-10	अनिर्णीत

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022

क्रम संख्या	पैरा संख्या	विवरण	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क ₹6400 बनता था, जिसे ड्राफ्ट संख्या 589389 के माध्यम से विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-5(क)	अनिर्णीत	
3	पैरा-5(ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा-6(क)	पुनः प्रारूपित	
5	पैरा-6(ख)	निर्णीत	विवाह पंजीकरण की बकाया राशि ₹4000/ को वसूल कर पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया है ।
6	पैरा-7(क)	अनिर्णीत	
7	पैरा-7(ख)	अनिर्णीत	

8	पैरा-7(ग)	अनिर्णीत	
9	पैरा-7(घ)	अनिर्णीत	
10	पैरा-7(ङ)	अनिर्णीत	
11	पैरा-8(क)	निर्णीत	अधिक भुगतान राशि को संबन्धित निधि में जमा करवा दिया गया है ।
12	पैरा-9(क)	अनिर्णीत	
13	पैरा-9(ख)	अनिर्णीत	
14	पैरा-10	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष (उप पैरों सहित)	20
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	9
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	4
अवधि 01.04.14 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष (उप पैरों सहित)	25

पैरा संख्या - 4(i)

परिशिष्ट -(ख)

Financial position of OWN sources of Gram Panchyat jaihmat					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	189910.36	439000	628910.36	360672	268238.36

पैरा संख्या - 4(ii)
परिशिष्ठ -(ग)

Financial position of grants in aid including 14 th FCof Gram Panchyat jaihmat					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	78545.73	1903326	1981871.73	1617463	364408.73

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jaihmat,
Development Block-Gopalpur
Distt. Mandi (H.P.)

21

पैरा संख्या – 4(iii)

परिशिष्ट –(घ)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat jaihmat					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1173283.2	1431843	2605126.2	885853	1719273.2

20

पैरा संख्या - 6(क)
परिशिष्ट -(ड.)

ग्राम पंचायत जेहमत गृह कर विवरण

बर्ष	कुल परिवार	गत शेष	बर्ष की मांग	योग	बर्ष के दौरान प्राप्त राशी	अंत शेष
2022-23	750	78780.00	15000.00	93780.00	Nil-	93780.00

10/04/24
Panchayat Secretary
Gram Panchayat Jehmat,
Development Block-Gopalpur
Distt. Mandi (H.P.)

पैरा संख्या - 9 (क)
परिशिष्ट — (च)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीटिक टन	राशि
	मनरेगा								
1	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	071/25.11.22	रेत	15665.1	14.10	1.62	22.84	80	1827.36
2	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	071/25.11.22	बजरी	9187.2	7.20	1.52	10.94	80	875.52
3	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	071/25.11.22	बजरी	20845.5	19.50	1.52	29.64	80	2371.20
4	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	072/25.11.22	रेत	9557.12	5.48	1.62	8.88	80	710.21
5	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	072/25.11.22	बजरी	15766.72	9.28	1.52	14.11	80	1128.45
6	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	069/25.11.22	रेत	15665.1	14.10	1.62	22.84	80	1827.36
7	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	069/25.11.22	बजरी	9187.2	7.20	1.52	10.94	80	875.52
8	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	069/25.11.22	बजरी	20845.5	19.50	1.52	29.64	80	2371.20
9	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	070/25.11.22	रेत	9557.12	5.48	1.62	8.88	80	710.21
10	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	070/25.11.22	बजरी	15766.72	9.28	1.52	14.11	80	1128.45
11	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	070/25.11.22	बोल्डर	44999.5	39.13	2.24	87.65	80	7012.10
12	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	067/25.11.22	रेत	15976.18	14.38	1.62	23.30	80	1863.65
13	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	067/25.11.22	बजरी	9365.84	7.34	1.52	11.16	80	892.54
14	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	067/25.11.22	बजरी	21262.41	19.89	1.52	30.23	80	2418.62
15	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	068/25.11.22	रेत	9557.12	5.48	1.62	8.88	80	710.21
16	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	068/25.11.22	बजरी	15766.72	9.28	1.52	14.11	80	1128.45
17	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	068/25.11.22	बोल्डर	44999.5	39.13	2.24	87.65	80	7012.10
18	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	065/25.11.22	रेत	15665.1	14.10	1.62	22.84	80	1827.36
19	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	065/25.11.22	बजरी	9187.2	7.20	1.52	10.94	80	875.52
20	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	065/25.11.22	बजरी	20845.5	19.50	1.52	29.64	80	2371.20
21	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	066/25.11.22	रेत	9557.12	5.48	1.62	8.88	80	710.21
22	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	066/25.11.22	बजरी	15766.72	9.28	1.52	14.11	80	1128.45
23	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	066/25.11.22	बोल्डर	44999.5	39.13	2.24	87.65	80	7012.10
24	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	063/25.11.22	रेत	15665.1	14.10	1.62	22.84	80	1827.36
25	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	063/25.11.22	बजरी	9187.2	7.20	1.52	10.94	80	875.52
26	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	063/25.11.22	बजरी	20845.5	19.50	1.52	29.64	80	2371.20
27	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	064/25.11.22	रेत	9557.12	5.48	1.62	8.88	80	710.21
28	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	064/25.11.22	बजरी	15766.72	9.28	1.52	14.11	80	1128.45
29	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	064/25.11.22	बोल्डर	44999.5	39.13	2.24	87.65	80	7012.10
30	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	061/25.11.22	रेत	15820.64	14.24	1.62	23.07	80	1845.50
31	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	061/25.11.22	बजरी	9276.52	7.27	1.52	11.05	80	884.03
32	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	061/25.11.22	बजरी	21048.61	19.69	1.52	29.93	80	2394.30

33	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	062/25.11.22	रेत	9557.12	5.48	1.62	8.88	80	710.21
34	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	062/25.11.22	बजरी	15766.72	9.28	1.52	14.11	80	1128.45
35	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	062/25.11.22	बोल्डर	44999.5	39.13	2.24	87.65	80	7012.10
36	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	073/25.11.22	रेत	15031.83	13.53	1.62	21.92	80	1753.49
37	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	073/25.11.22	बजरी	8817.16	6.91	1.52	10.50	80	840.26
38	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	073/25.11.22	बजरी	20011.68	18.72	1.52	28.45	80	2276.35
39	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	076/25.11.22	रेत	9190.88	5.27	1.62	8.54	80	682.99
40	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	076/25.11.22	बजरी	15138.09	8.91	1.52	13.54	80	1083.46
41	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	074/25.11.22	रेत	15076.27	13.57	1.62	21.98	80	1758.67
42	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	074/25.11.22	बजरी	8842.68	6.93	1.52	10.53	80	842.69
43	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	074/25.11.22	बजरी	20054.44	18.76	1.52	28.52	80	2281.22
									88206.51

पैरा संख्या - 9(ख)

परिशिष्ट -(घ)

25

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	VKVNY,SDP,BASP व अन्य अनुदान					
1	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	003/21.04.22	जेसीबी cutting	44625	1.00%	446.25
2	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	004/21.04.22	जेसीबी cutting	44625	1.00%	446.25
3	दलेर सिंह सरकारी ठेकेदार गाँव सुखर तहसील बल्द्वाड़ा जिला मण्डी	005/21.04.22	जेसीबी cutting	44625	1.00%	446.25
						1338.75